न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 200/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. अधिशाषी अभियन्ता सिचाई (दक्षिण खण्ड) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 17.07.2018

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का पटवार मण्डल 4 जैड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मूल ही भिजवाते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अन्तर्गत निवेदन किया कि जैड माईनर की सीमा में तीन पुली से नहरी की सीमा में चल रहे रास्ता के सम्बंध में रिकार्ड एवम् मौका अनुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 चक 1 बी छोटी खाता संख्या 90/81 में मुरब्बा नम्बर 70/1 में 3.731 हैक्टर गैर मुमकिन रकबा सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 70/1 3.731 हैक्टर में चल रही जैड माईनर के उत्तरी पट्डे में लगभग 2–2 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता चल रहा है जिसका उपयोग चक 6 जैड मुरब्बा नम्बर 1, 2, 3, 7, 8 एवम् चक 1 बी छोटी मुरब्बा नम्बर 65–66–52 के काश्तकारों तथा मुरब्बा नम्बर 50–51–66–67 में बसी कालोनी के वाशिन्दों द्वारा किया जा रहा है।

अतः उक्त चालू रास्ते को स्वीकृत किया जावे।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रार्थन्ना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि जैड वितरिका गंग नहर से निकलती है इस नहर का निर्माण वर्ष 1927 में तत्कालीन बीकानेर रियासत की फील्ड बुक के अनुसार जैड वितरिका के तैयार किये गये ले आउट प्लान की छाया प्रति संलग्न है। जिससे जैड वितरिका की भूमि बाबत स्थिति स्पष्ट होती है उक्त भूमि नहरी के रख रखाव एवम् अन्य कार्यो के लिये प्रयुक्त होती है।

मुरब्बा नम्बर 70/1 3.731 हैक्टर में चल रही जैड माईनर के उत्तरी पट्डे में लगभग 2 बिस्वा में रास्ता चल रहा है जिसका उपयोग 6 जैड मुरब्बा नम्बर 1, 2, 3, 7, 8 एवम् चक 1 बी छोटी मुरब्बा नम्बर 65, 66, 52 के कास्तकारों तथा मुरब्बा नम्बर 50, 51, 66, 67 में बसी कोलोनी के वाशिन्दों द्वारा किया जा रहा है।

लगातार 2

जिस कालोनी के निवासीयों द्वारा जैड माईनर के पटडे को रास्ते के रूप में कार्य में लिया जाता है क्या वह कालोनी राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत है यदि हां तो फिर यह कैसे सम्भव है, कि कोलोनी के वाशिन्दों के लिये कोई आवागमन का मार्ग नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश वाद अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 2 अगस्त 2004 प्रदत्त निर्णय को लाया जाना उचित होगा। जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया है, कि "All land shown as drainage channels like nalla, river, tributaries etc. As on 15.08.1947 should be declared as Govt. land. Any conversion made after 15.08.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be ammended accordingly."

राजस्थान मुनिसपल्टी अधिनियम 2009 के नियम 71 को यहां पेश किया जा रहा है। जिसके अनुसार उक्त भूमि को राज्य सरकार के राजपत्र में छाया होनें से पूर्व किसी प्रकार से परिवर्तित किया नहीं जा सकता है। यदि कोई आबादी बसी है। तो उस आबादी के उस आवागमन के लिये मार्ग का निर्धारण करना मुनिसपल्टी कार्य करेगी।

केवल इसी आधार पर कि रास्ता नहीं है, नहर की भूमि को रास्ते में परिवर्तित नहीं किया सकता है यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि जैड वितरिका पर कई पुल पूर्व में निर्मित है, जो कि ग्रामों की सम्पर्क सड़कों पर निर्मित है उक्त पुलो से आवागमन सम्भव है यह कि किसी ग्राम एवम् चक विशेष के लिये नहर के पटड़े को रास्ता घोषित किया जाना उचित नहीं है।

जिस स्थान पर सड़क/रास्ता घोषित किये जानें की मांग की गई है उस विभागीय भूमि उपयोग मिर्जेवाला रेवले क्रासिग पर बनें नहर के साईफन की सफाई की दृष्टि से अति आवश्यक है यहां यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है, कि यदि भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो 18 मोघो से जुडे कमान क्षैत्र के कास्तकारों को अपूरणीय क्षति होगी।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र पत्र अप्रार्थी को सुना गया अप्रार्थी द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त करनें हेतु निवेदन किया अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अबलोकन पाया कि अप्रार्थी द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र मे राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश वाद अब्दुल रहमान अनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 2 अगस्त 2004 प्रदत्त निर्णय का वर्णन किया गया है, जिसके अवलोकन से यह सिद्ध होता है, कि नदी नालो के बहाव क्षैत्र में किसी प्रकार के आवंटन आदि पर रोक है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में आवंटन सम्बधी कोई कार्यवाही नहीं है बल्कि मौके पर चल रहे रास्ता को ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना है। यह भी पाया गया कि मौके पर चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करना किसी तरह का भू. उपयोग परिवर्तन (Conversion) नही है।

अतः तहसीलदार द्वारा चाही गई स्वीकृति के सन्दर्भ में चालु रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें की मांग उचित होनें के कारण परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

– :: आदेश ::–

अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) व सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में मुरब्बा नम्बर 70/1 3.731 हैक्टर में चल रही जैड माईनर के उत्तरी पट्डे में लगभग 2 बिस्वा में चल रहे रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर